कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क्षेत्रीय कार्यालय)
Employees' State Insurance Corporation (Regional Office)
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
पंचदीप भवन, ई.डी.सी. प्लॉट संख्या 23, पाटो, पणजी, गोवा -403001
Panchdeep Bhavan, EDC Plot No. 23, Patto, Panaji, Goa - 403001
फ़ोन : 0832-2438867, 2438870, 2438874 फ़ैक्स : 0832-2438858
ई-मेल :rd-goa@esic.nic.in वैबसाइट : www.esicgoa.org.in, www.esic.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

सभी दुकानों एवं व्यापारिक संस्थाओं (कारखानों को छोडकर) के मालिकों को सूचित किया जाता है कि गोवा सरकार के श्रम विभाग नें गोवा सरकार के दिनांक 05/7/2012 को प्रकाशित आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना संख्या 24/15/2011/श्रम/क.रा.बी./341 दिनांक 22/06/2012 के तहत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 लागू करने का प्रावधान किया है जिसके अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत सभी वर्गों की ऐसी दुकानों और व्यापारिक संस्थाओं पर व्याप्ति की पात्रता शर्तें लागू होंगी जिनमें 10 या इससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है।

इस संशोधन से पहले कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम केवल 20 या इससे अधिक कर्मचारियों को काम पर रखने वाली दुकानों एवं प्रतिष्ठानों पर लागू करने का प्रावधान था। इस संशोधन के बाद गोवा राज्य के अधिक से अधिक कर्मचारी , ठेकेदार श्रमिक, छोटी दुकानों, होटेलों, रेस्तरां एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सक्रिय विभिन्न कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा अभिनियम 1948 के तहत दिये जाने वाले विभिन्न हितलाभों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

ऐसे सभी नियोजकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत शीघ्र पंजीकरण कराना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए नियोजक अपने नजदीकी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के शाखा कार्यालय या उस क्षेत्र में नियुक्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या फिर क्षेत्रीय कार्यालय , ई.डी.सी. प्लॉट संख्या 23,पाट्टो, पणजी से भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-2330-132 पर भी कॉल कर सकते हैं।

(सी.वी.जोसफ)

दिनांक : 04/09/2012

क्षेत्रीय निदेशक